न्यायाधीश एस.एस. सोढ़ी के सामने

जराओ कौर, अपीलकर्ता।

बनाम

मंगतू राम और अन्य,-प्रतिवादी।

***1978* के आदेश क्रमांक *102* से प्रथम अपील।**

22* फ़रवरी *1984.

मोटर वाहन अधिनियम *(1939* का *IV)* - धारा *110*-बी - बस का अचानक सड़क से उतरना और एक घर की दीवार से टकराना, जिससे दावेदार को चोटें आईं - *रेस इप्सा लोकिटुर* का सिद्धांत - क्या लागू किया जा सकता है - आवेदन के लिए सिद्धांत कहावत का - कहा गया - यांत्रिक विफलता के रूप में ड्राइवर द्वारा अनुरोध किया गया। रक्षा—ऐसी विफलता स्थापित करने का उत्तरदायित्व—चाहे चालक पर निर्भर हो—ऐसे उत्तरदायित्व का निर्वहन—तरीके—बताया गया।

माना जाता है कि कानून मानता है कि ऐसे मामले हैं जहां नियम के कठोर अनुप्रयोग के कारण दुर्घटना का शिकार होने वाले व्यक्ति को काफी कठिनाई हो सकती है कि लापरवाही साबित करना ऐसे पीड़ित पर निर्भर है। यहीं पर रेस इप्सा लॉउइटर का सिद्धांत आता है - बात अपने आप छुप जाती है। यह कहावत वहां लागू होती है जहां यह इतना असंभव है कि लापरवाही के अलावा ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है। दूसरे शब्दों में, जहां दुर्घटना अपनी प्रकृति से ही ऐसी होती है कि उसके उस तरीके से घटित होने मात्र से ही लापरवाही सामने आ जाती है। आम तौर पर बसें सड़क से हटकर लापरवाही के कारण घरों की दीवारों से नहीं टकरातीं। इस प्रकार, कहावत रेस इप्सा लॉउइटर ऐसे मामले की ओर आकर्षित होती है और परिणामस्वरूप लापरवाही साबित करने का बोझ जो दावेदार पर था, वह केवल दुर्घटना के सबूत से मुक्त हो जाता है। जहां दुर्घटना को बस चालक द्वारा स्वीकार किया जाता है, लापरवाही को गलत साबित करने का बोझ उस पर डाल दिया जाता है।

*(*पैराग्राफ *2* और *3)*

यह माना गया कि जब यांत्रिक विफलता को बचाव के रूप में पेश किया जाता है, तो चालक और दोषी वाहन के मालिक पर यह साक्ष्य स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है कि, उनकी ओर से उचित देखभाल और सावधानी बरतने के बावजूद ऐसी यांत्रिक विफलता हुई थी, जो उन्होंने समय-समय पर बरती थी। वाहन को सड़क योग्य स्थिति में रखने का समय। दूसरे शब्दों में, यह साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए कि वाहन को सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिए उसकी क्या देखभाल की गई थी, वाहन कितना पुराना था, उसने कितना माइलेज दिया था और कितने अंतराल पर उसकी जाँच की गई थी और आखिरी बार

वह कब पाया गया था उपयुक्त और उचित और किसके द्वारा।

(पैराग्राफ 8)

श्री आर.एल. लांबा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गुड़गांव की अदालत के *21* सितंबर, *1977* के याचिका को खारिज करने के आदेश से पहली अपील।

अपीलकर्ता की ओर से वकील ओ. पी. गोयल।

हरभगवान सिंह, ए.जी., हरियाणा के साथ पी.एस. दुहान, डी.ए.जी. हरियाणा कके लिएप्रतिवादी *2* और *3* के लिए

निर्णय

न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी

1. कहावत रेस इप्सा लोकिटुर को यहां दुर्घटना के तरीके में इसके अनुप्रयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान किया गया है - अचानक एक हरियाणा रोडवेज की बस एचआरजी-*292* दिल्ली की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ गई, सड़क से हट गई और आउटर से टकरा गई। दावेदार श्रीमती के घर की दीवार। जराओ कौर के परिणामस्वरूप दावेदार, जो अंदर एक खाट पर लेटा हुआ था, उसके मलबे के नीचे दब गया।

2. जैसा कि अब अच्छी तरह से तय हो चुका है, कानून मानता है कि ऐसे मामले हैं जहां नियम के कठोर आवेदन से दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को काफी कठिनाई हो सकती है कि लापरवाही साबित करना ऐसे पीड़ित का काम है। यहीं पर रेस इप्सा लोकिटूर का सिद्धांत आता है - चीज़ खुद ही बोलती है। यह कहावत वहां लागू होती है जहां यह इतना असंभव है कि लापरवाही के अलावा ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है। दूसरे शब्दों में, जहां दुर्घटना अपने स्वभाव से ही ऐसी है कि उसके उस तरीके से घटित होने मात्र से ही लापरवाही सामने आ जाती है।
3. लापरवाही के अलावा बसें आम तौर पर सड़क से हटकर घरों की दीवारों से नहीं टकरातीं। इस प्रकार, कहावत रेस इप्सा लोकिटूर वर्तमान मामले की ओर आकर्षित होती है और इसके परिणामस्वरूप लापरवाही साबित करने का बोझ जो दावेदार पर था, केवल दुर्घटना के सबूत से समाप्त हो गया। दुर्घटना को बस चालक द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, लापरवाही को गलत साबित करने का बोझ उस पर डाल दिया गया।
4. बस चालक का कहना था कि बी.एस.एफ. एक ट्रक अचानक तेज गति से एक गली से मुख्य सड़क पर आ गया था और उससे मिलीभगत से बचने के लिए उसने अपनी बस को बाईं ओर मोड़ दिया था और तभी बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। जब उसने उन्हें लगाने की कोशिश की और इसी कारण बस दावेदार के घर से टकरा गई।
5. ट्रिब्यूनल ने इस संस्करण को स्वीकार कर लिया और माना कि दावेदार बस चालक की ओर से लापरवाही साबित करने में विफल रहा। ऐसा मानने में, पहली बार में, ट्रिब्यूनल ने दावेदार पर बस चालक की लापरवाही साबित करने का बोझ डालने में गलती की, जबकि कहावत रेस इप्सा लोकिटुर यहाँ स्पष्ट रूप से लागू थी। दरअसल, लापरवाही को गलत साबित करने की जिम्मेदारी बस चालक पर थी।
6. इसके बाद, ट्रिब्यूनल ने यांत्रिक दोष की दलील को स्वीकार करने में गलती की; ब्रेक की विफलता, जैसा कि बस चालक द्वारा बताया गया है। इस प्रकार की कोई भी दलील जब भी उठाई जाती है तो उसे एक तथ्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। पैमाना यह है कि

उचित देखभाल के बावजूद ऐसे दोष का पता नहीं लगाया जा सका और उसका निवारण नहीं किया जा सका।

7. लक्ष्मीस्मल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1975 मद्रास 157 में, एक बस अपने ट्रैक से भाग गई और पैदल यात्री फुटपाथ पर कूद गई और एक साइकिल चालक को टक्कर मार दी। इस घटना का कारण अगले बाएं पहिये के सिलेंडर में तेल रिसाव के कारण अचानक ब्रेक फेल होना बताया गया। यह माना गया कि ऐसे मामले में मैक्सिम रेस इप्सा लोकिटुर लागू होता है और इसके अलावा ब्रेक की अचानक विफलता यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि दुर्घटना लापरवाही के कारण नहीं हुई थी, जैसे कि ऐसे मामलों में जहां अव्यक्त दोष को एक के रूप में प्रस्तुत किया गया था बचाव के लिए, यह दिखाया जाना था कि उचित देखभाल के बावजूद ऐसा अव्यक्त दोष खोजा नहीं जा सका। इस संबंध में लॉर्ड डोनोवन की टिप्पणियों को हेंडरसन बनाम हेनरी ई. जानकिंस एंड संस 1969-ऑल इंजी. में पुन: प्रस्तुत किया गया है। कानून रिपोर्ट, 756 पृष्ठ 764 पर अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था "प्रतिवादी द्वारा की गई 'अव्यक्त दोष' की दलील को उन्हें पूरा करना था, यह उन्हें दिखाना था कि उन्होंने सभी उचित देखभाल की थी और इसके बावजूद, दोष छिपा रहा।"
8. जब यांत्रिक विफलता को बचाव के रूप में पेश किया जाता है, तो यह जिम्मेदारी चालक और उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक पर होती है कि वे साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करें कि ऐसी यांत्रिक विफलता उनकी ओर से उचित देखभाल और सावधानी बरतने के बावजूद हुई थी, जिसे बनाए रखने के लिए वे समय-समय पर व्यायाम करते थे। वाहन सड़क पर चलने योग्य स्थिति में हो। दूसरे शब्दों में, यह साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए कि वाहन को सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिए उसकी क्या देखभाल की गई थी, वाहन कितना पुराना था, उसने कितना माइलेज दिया था और कितने अंतराल पर उसकी जाँच की गई थी और अंतिम अवसर पर उसे फिट पाया गया था। और उचित और किसके द्वारा. जैसा कि वर्तमान मामले में है, ड्राइवर की नंगी अपुष्ट गवाही स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, इस मामले में ब्रेक की अचानक विफलता की दलील के आधार पर बस चालक को दुर्घटना के लिए दोष से मुक्त करने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत बहुत कम हैं। इसलिए, यह

निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान मामले में दुर्घटना पूरी तरह से बस चालक की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई होगी।

9. अगला विचार दावा आवेदन दाखिल करने में देरी से संबंधित मामला है। ट्रिब्यूनल ने माना था कि किया गया दावा परिसीमा के कारण वर्जित है क्योंकि इसे दाखिल करने की आखिरी तारीख के एक दिन बाद दायर किया गया था। दावेदार ने इस दलील पर इस देरी की व्याख्या करने की मांग की थी कि यह उसकी धारणा थी कि जिस तारीख को दुर्घटना हुई थी, उसे इस दावे को दायर करने के लिए उपलब्ध सीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया, यह दावा आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करता है। इन परिस्थितियों में इस आधार पर दावेदार के दावे को अस्वीकार करना अन्यायपूर्ण होगा।

10. इस अपील में अब जिस मुद्दे पर विचार किया जाना है वह दावेदार को उसके द्वारा प्राप्त चोटों के मुआवजे के रूप में देय राशि के संबंध में है। यहां इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि दीवार का मलबा वास्तव में दावेदार पर तब गिरा था जब वह खाट पर लेटी हुई थी और उसे लगी चोटों के कारण उसे अस्पताल ले जाना पड़ा जहां उसे रखा गया था। तीन दिनों के लिए एक इनडोर रोगी। इस दुर्घटना के समय दावेदार की उम्र 65 वर्ष थी। उसकी उम्र और इस दुर्घटना में उसके साथ जो हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए उसका बयान है कि वह बेहोश हो गई थी और अस्पताल में ही होश में आई और उसके बाद लगभग छह महीने तक वह अपनी पीठ और दाहिने हाथ पर दर्द और चोट के कारण खड़ी नहीं हो सकी। अभी भी उसे दर्द दे रहा था, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि उसके इलाज पर कुछ रकम भी खर्च हुई होगी। अस्पताल से या खरीदी गई दवाओं के बिल के रूप में कोई भी पुष्टिकारक साक्ष्य सामने नहीं आया है, लेकिन यह ध्यान रखना उचित होगा कि अस्पताल के रिकॉर्ड को तलब किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे अप्राप्य बताया गया था। इसलिए, इस परिस्थिति को दावेदार के विरुद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

11. मामले की समग्र परिस्थितियों में, दावेदार स्पष्ट रूप से इस दुर्घटना के कारण हुए दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजे की हकदार है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य रुपये की राशि के पुरस्कार को पूरी तरह से उचित ठहराएंगे। इस तरह के दर्द और पीड़ा और उसके इलाज पर हुए अन्य खर्चों के लिए 5,000 रु. तद्नुसार, दावेदार को रु. की राशि प्रदान की जाती है। मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये वह आवेदन की तारीख से दी गई राशि के भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पाने की हकदार होगी।
12. फलस्वरूप यह अपील लागत सहित स्वीकार की जाती है। वकील की फीस रु. 300।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा